न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर डूंगरपुर (राजस्थान)
(पीठासीन अधिकारी : कृष्णपालसिंह चौहान, आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या 03/2019

दायर दिनांक–28.06.2019
निर्णय दिनांक–09.12.2019

श्री रमण पिता फुला डामोर निवासी खारापाणी वगैराह (4)
तहसील सीमलवाडा जिला डूंगरपुर

.....**प्रार्थीगण**

बनाम

1. श्री सना पिता भगा डामोर वगैराह (2) निवासी खारापाणी तहसील सीमलवाडा जिला डूंगरपुर
2. भूमिधारी तहसीलदार सीमलवाडा जिला डूंगरपुर

....**विपक्षीगण**

प्रार्थना–पत्र अर्न्तगत नियम 14(4)
राजस्थान भू–(कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन) नियम, 1970

–

उपस्थित :–

1. श्री अमृतलाल पंचाल, अभिभाषक वास्ते प्रार्थी
2. श्री शैलेष भण्डारी, अभिभाषक वास्ते विपक्षीगण

आदेश

इस प्रकरण के संक्षिप्त मे तथ्य इस प्रकार है कि मौजा खारापानी के आराजी नंबर 202/1 रकबा 20 बीघा किस्म का.का. मे से रकबा 5 बीघा भूमि अप्रार्थी नंबर 1 श्री सना पिता भगा डामोर निवासी खारापानी तहसील सीमलवाडा एवं उसकी पत्नि चम्पा के नाम से आवंटन सलाहकार समिति द्वारा जरिये मिसल नंबर 1777/2002 के द्वारा दिनांक 22.06.2002 को गैर खातेदारी हक पर आवंटन की गई थी। उक्त आवंटित भूमि पर प्रार्थीगण के पिता 60–70 वर्षो से काबिज थे एवं उनकी मृत्यु के पश्चात प्रार्थीगण काबिज होना बताते हुए अप्रार्थी के नाम से उक्त आवंटित भूमि के आवंटन आदेश दिनांक 22.06.2002 को निरस्त करने हेतु प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत किया है।

22.06.2002 को निरस्त करने हेतु प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत किया है।

प्रकरण इस न्यायालय मे पेश होने पर दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को वास्ते जवाबदेही हेतु जरिये नोटिस के तलब किये गये। अप्रार्थी नंबर 1 ने उपस्थित होकर अपनी ओर से जवाब पेश करते हुए बताया है कि कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन नियम, 1970 के तहत आवंटन सलाहकार समिति द्वारा अप्रार्थी एवं उसकी पत्नि को मौजा खारापानी के आराजी नंबर 202/1 मे से रकबा 5 बीघा भूमि जरिये मिसल नंबर 1777/02 के द्वारा दिनांक 22.06.2002 को नियमानुसार आवंटन की गई है। आवंटन के पश्चात अप्रार्थी को कब्जा भी सुपुर्द किया गया है। आवंटन नियमों की शर्तो के अनुसार अप्रार्थी द्वारा उक्त भूमि पर काश्त करने से खातेदारी अधिकार भी प्राप्त हो चुके है तथा वर्तमान मे भी विपक्षी द्वारा उक्त भूमि पर काश्त के रूप मे मक्का की फसल बोयी गई थी जो हाल खसरा गिरदावरी 2072–2075 मे मक्का की फसल का काश्त के रूप मे अंकन किया गया है मौके पर प्रार्थीगण का उक्त भूमि पर कोई कब्जा काश्त नही है। प्रार्थीगण जबरन उक्त भूमि को छीन लेने की नियत से यह झूठा प्रार्थना–पत्र पेश किया गया है अप्रार्थी को उक्त भूमि आवंटन हुए 17 वर्ष से अधिक की अवधि हो चुकी है। आवंटन के पश्चात अप्रार्थी आवंटन नियमों की अक्षरशः पालना करने से खातेदारी अधिकार प्राप्त हो चुके है। प्रार्थी ने विपक्षी की खातेदारी भूमि पर जबरन प्रवेश कर मकान का निर्माण कर देने से विपक्षी ने प्रार्थीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद कराने के लिये प्रार्थीगण के विरूद्व एक राजस्व वाद एवं अस्थाई निषेधाज्ञा जारी कराने का प्रार्थना पत्र न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सीमलवाडा मे प्रस्तुत किया है जो विचाराधीन है व उपखण्ड अधिकारी सीमलवाडा ने प्रकरण संख्या 26/2019 मुत. रवे. मे आदेश दिनांक 07.06.2019 के द्वारा उक्त भूमि पर प्रार्थीगण को मौके पर याथास्थिति बनाये रखने के आदेश पारित किये है प्रार्थीगण ने उक्त आदेश से नाराज होकर गलत तथ्यों के आधार पर यह झूठा प्रार्थना पत्र पेश किया है जो निरस्त होने काबिल है। अतः प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को निरस्त करने का आदेश पारित किया जावें।

पत्रावली का एवं उभयपक्षों की ओर से प्रस्तुत संलग्न दस्तावेजात का अवलोकन किया गया एवं बहस उपभपक्षों के समायत की गई।

विद्वान वकील प्रार्थीगण ने अपनी आरे से बहस के दौरान बताया है कि मौजा खारापानी के आराजी नंबर 202/1 रकबा 20 बीघा किस्म काबिल काश्त मे से रकबा 5 बीघा भूमि अप्रार्थी नं 1 श्री सना एवं उसकी पत्नि चम्पा के नाम से आवंटन सलाहकार समिति द्वारा मिसल नंबर 1777/02 के द्वारा दिनांक 22.06.2002 को गैर खातेदारी हक पर आवंटन की गई। उक्त भूमि पर प्रार्थीगण के पिता गत 60–70 वर्षो से काबिज होकर काश्त करते आ रहे थे एवं उसके पश्चात प्रार्थीगण काबिज होकर काश्त करते है। उक्त भूमि मे से 1.10 बीघा भूमि पर प्रार्थीगण का कब्जा है एवं 1.10 बीघा भूमि पर वृक्ष लगा रखे है। प्रार्थी रमण का इस जमीन पर बने मकान के पास ही अपने पुत्र के मकान का निर्माण कार्य अप्रेल, 2019 मे आरंभ करने जमीन समतल करा नींव खुदाई के दौरान विपक्षी ने एतराज कर उक्त भूमि अपने खाते होना बताने पर उक्त भूमि का आवंटन विपक्षी के नाम से होने की जानकारी मिली एवं विपक्षी द्वारा कार्य मे व्यवधान डालने की कोशिश करने पर प्रार्थीगण द्वारा पुलिस मे रिपोर्ट भी पेश की गयी है आवंटन के उपरान्त प्रार्थी के कब्जे वाली जमीन मे गलत पैमुदगी करने से आये दिन विवाद बना रहता है। प्रार्थी ने आवंटन नियमों के शर्तो की पालना नही की गयी है। अतः अप्रार्थी के नाम से आवंटित भूमि के आवंटन आदेश दिनांक 22.06.2002 को निरस्त करने का आदेश पारित किया जावें।

विद्वान वकील अप्रार्थी ने अपनी ओर से बहस मे दौरान बताया है कि कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन नियम, 1970 के तहत आवंटन सलाहकार समिति द्वारा अप्रार्थी एवं उसकी पत्नि को मौजा खारापानी के आराजी नंबर 202/1 मे से रकबा 5 बीघा भूमि जरिये मिसल नंबर 1777/02 के द्वारा दिनांक 22.06.2002 को नियमानुसार आवंटन की गई है। आवंटन के पश्चात अप्रार्थी को कब्जा भी सुपुर्द किया गया है। आवंटन नियमों की शर्तो के अनुसार अप्रार्थी द्वारा उक्त भूमि पर काश्त करने से खातेदारी अधिकार भी प्राप्त हो चुके है तथा वर्तमान मे भी विपक्षी द्वारा उक्त भूमि पर काश्त के रूप मे मक्का की फसल बोयी गई थी जो हाल खसरा गिरदावरी 2072–2075 मे मक्का की फसल

का काश्त के रूप मे अंकन किया गया है मौके पर प्रार्थीगण का उक्त भूमि पर कोई कब्जा काश्त नही है। प्रार्थीगण जबरन उक्त भूमि को छीन लेने की नियत से यह झूठा प्रार्थना–पत्र पेश किया गया है अप्रार्थी को उक्त भूमि आवंटन हुए 17 वर्ष से अधिक की अवधि हो चुकी है। आवंटन के पश्चात अप्रार्थी आवंटन नियमों की अक्षरशः पालना करने से खातेदारी अधिकार प्राप्त हो चुके है। प्रार्थी ने विपक्षी की खातेदारी भूमि पर जबरन प्रवेश कर मकान का निर्माण कर देने से विपक्षी ने प्रार्थीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद कराने के लिये प्रार्थीगण के विरूद्व एक राजस्व वाद एवं अस्थाई निषेधाज्ञा जारी कराने का प्रार्थना पत्र न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सीमलवाडा मे प्रस्तुत किया है जो विचाराधीन है व उपखण्ड अधिकारी सीमलवाडा ने प्रकरण संख्या 26/2019 मुत. रवे. मे आदेश दिनांक 07.06.2019 के द्वारा उक्त भूमि पर प्रार्थीगण को मौके पर याथास्थिति बनाये रखने के आदेश पारित किये है।

दौराने बहस विद्वान वकील अप्रार्थी ने साईटेशन के रूप मे 1988(2)WLN(Rev) पेज 82–88 शेवदान बनाम धावली एवं अन्य एसबी अपील नंबर 26/86/एलआर/ निर्णय दिनांक 25.08.1988, 1988(2) WLN(Rev) श्री गंगाराम बनाम राज.राज्य एस.बी. अपील नंबर 28/83/एलआर/ निर्णय दिनांक 22.09.1988 पृष्ठ 294–295, एवं आरबीजे (4) 1997 पृष्ठ 1964–1966 श्री मगना बनाम भौजा एवं अन्य अपील/एलआर/ 76/93 निर्णय दिनांक 18.02.1997 की ओर न्यायालय का ध्यान आकृर्षित कराते हुए बताया कि आवंटन सलाहकार समिति द्वारा मौके पर भूमि खाली पडी हुई होने से नियमानुसार अप्रार्थी को आवंटन की गई है। जिसकी अवधि 17 वर्ष से भी अधिक की अवधि हो चुकी है। आवंटन के वक्त प्रार्थीगण का मौके पर कब्जा नही था। अप्रार्थी को आवंटित भूमि के खातेदारी अधिकार भी प्राप्त हो चुके है आवंटन के पश्चात से अप्रार्थी का आवंटित भूमि पर लगातार कब्जा काश्त बना हुआ है। प्रार्थीगण द्वारा अप्रार्थी को आवंटित भूमि पर अनाधिकृत रूप से कब्जा करने से विपक्षी की आरे से कब्जा हटाने हेतु धारा 183 बी आर.टी.ए. के तहत वाद न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सीमलवाडा मे दायर कर रखा है। जिस पर न्यायालय द्वारा मौके पर याथास्थिति बनाये रखने हेतु अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की गयी है। ऐसी

स्थिति मे प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र (प्रकरण) को खारीज करने का आदेश पारित किया जावे।

पत्रावली के साथ संलग्न दस्तावेजात का अवलोकन करने पर एवं उभयपक्षों की आरे से बहस मे दी गयी दलीलों पर गौर से मनन करने पर यह निष्कर्ष निकलता है कि:—

मौजा खारापानी के आराजी नंबर 202/1 रकबा 20 बीघा किस्त का.का. मे से रकबा 5 बीघा भूमि अप्रार्थी श्री सना पिता भगा डामोर एवं उसकी पत्नि चम्पा निवासी खारापानी तहसील सीमलवाडा को आवंटन सलाहकार समिति द्वारा जरिये मिसल नंबर 1777/02 के द्वारा दिनांक 22.06.2002 को गैर खातेदारी हक पर आवंटन की गई थी। आवंटित भूमि के अप्रार्थी को खातेदारी अधिकार भी प्रदान किये जा चुके है। जिसकी पृष्टि संलग्न जमाबंदी संवत 2072 से 2075 तक के अवलोकन से स्पष्ट रूप से हो जाती है। अप्रार्थी के द्वारा आवंटित भूमि पर काश्त की जा रही है आवंटी द्वारा मौके पर खरीफ की फसल मक्का के रूप मे की गई है। जिसकी पुष्टि संलग्न खसरा गिरदावरी संवत 2075 से स्पष्ट रूप से हो जाती है।

प्रार्थीगण की ओर से ऐसा कोई राजस्व दस्तावेज पेश नही किया जिसके आधार पर उक्त आवंटित भूमि पर उनका कब्जा काश्त प्रमाणित हो सके। उनके द्वारा मात्र फोटो पेश किये गये है वह भी किसी राजस्व अधिकारी/कर्मचारी या सरपंच के द्वारा प्रमाणित किये हुए नही है उस पर मात्र प्रार्थीगण के ही हस्ताक्षर है जिससे यह प्रमाणित नही होता है कि प्रस्तुत फोटो आवंटित भूमि के है एवं ये वृक्ष प्रार्थीगण के द्वारा ही लगाये गये हो। इसके द्वारा उक्त अप्रार्थी को आवंटित भूमि पर प्रार्थीगण द्वारा जबरन कब्जा करने से अप्रार्थी की आरे से प्रार्थीगण के विरूद्व न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सीमलवाडा मे धारा 183 बी आर.टी.ए. के तहत स्थाई निषेघाज्ञा प्रार्थीगण के विरूद्व जारी कराने हेतु वाद पेश कर रखा है। उपखण्ड अधिकारी सीमलवाडा के द्वारा प्रकरण संख्या 26/2019 मुत. रेवे. मे दिनांक 07.06.2019 को मौके पर याथास्थिति बनाये रखने हेतु प्रार्थीगण के विरूद्व अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की गई है। ऐसी स्थिति मे प्रार्थीगण की आरे से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र काबिले खारीज करने योग्य है।

उसकी पत्नि चम्पा के नाम से उक्त आवंटित भूमि के आवंटन आदेश दिनांक 22.06.2002 को यथावत रखने के आदेश दिये जाते है।

निर्णय आज दिनांक 09.12.2019 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया। पत्रावली फैसल मे शुमार होकर नंबर से कम की जाकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

(कृष्णपाल सिंह चौहान)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
डूंगरपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Krishnapal Singh Chouhan
Date: 2019.12.10 11:07:37 IST
Reason: SelfAttested
Location: